न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–निग. 325–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–160/अ–6/2012–13

.....

शीलचंद जैन पिता श्री कुंदनलाल जैन
निवासी–ग्राम खिमलासा, तहसील खुरई
जिला–सागर, म.प्र.

———आवेदक

विरूद्ध

दिनेश पिता श्री आशाराम सेन
निवासी– ग्राम खिमलासा, तहसील खुरई
हाल निवासी– अशोक गार्डन के पास
भोपाल, जिला–भोपाल, म.प्र.

———अनावेदक

.....

श्री पंकज जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री देवेन्द्र कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11.03.2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सदरपुर तहसील खुरई की बी–1 वर्ष 2009/10 के खसरा नंबर 132/1 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि आवेदक शीलचंद पिता कुन्दनलाल निवासी खिमलासा के नाम से अभिलेख में अंकित थी। आवेदक शीलचंद द्वारा नायब तहसीलदार खिमलासा के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि व्यवहार वाद 45ए/08 माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 खुरई के न्यायालय की डिक्री दिनांक 22–12–2010

के द्वारा नक्शा प्रतिवादपत्र के अनुसार 0.45 हैक्टेयर भूमि का कब्जा वापिस दिलाये जावे। नायब तहसीलदार खिमलासा खुरई के समक्ष आवेदन पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 01–06–2012 से आवेदक को कब्जा वापस दिलाये जाने का आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश से दुखी होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07–11–2012 से अपील स्वीकार की तथा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 17–12–2014 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 22–12–2010 के आधार पर आवेदक ने कब्जा दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर नायब तहसीलदार ने अनावेदक को प्रकरण में व्यक्तिशः सूचना जारी की गई जिसे उसके भाई सुरेश द्वारा यह कहते हुये कि अनावेदक दिनेश भोपाल में निवास करते है, सूचना पत्र लेने से इन्कार किया। नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक को भोपाल के पते पर रजिस्टर्ड सूचना जारी किये जाने का लेख आदेश पत्रिका दिनांक 18–05–2012 सत्यापित प्रति में है किन्तु सम्मन तामीली होने संबंधी कोई दस्तावेज अभिलेख में नहीं हैं। नायब तहसीलदार ने अनावेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर आवेदक को कब्जा सौपने की कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय ने समस्त कार्यवाही दिनांक 10–5–12 से 22–5–12 के मध्य अर्थात मात्र 12 दिवस में पूर्ण कर कब्जा आवेदक को सौंप है। तामीली नियमों के तहत बिना विधिवत रूप से सूचना दिये कब्जा सौंपने की एकपक्षीय

11.3.19

कार्यवाही को उचित नहीं कहा जा सकता। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त ने भी स्थिर रखा है। जहॉ तक व्यवहार न्यायालय के आदेश का प्रश्न है व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 22–12–2010 के द्वारा आवेदक को कब्जा सौंपने संबंधी आदेश दिये हैं, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायधीश खुरई के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 2ए/2011 दायर की गई थी, जो आदेश दिनांक 02–05–2012 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 596/2012 दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04–06–2012 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है–

> "Learned counsel for respondents submitted that the respondent have obtained possession through the Revenue Court. Therefore, so far as the possession part is concerned, both the parties are directed to maintain status quo as it exists today till next date of hearing"

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के पश्चात की गई कार्यवाही अथवा आदेश के दस्तावेज न अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है और न ही उभयपक्ष की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकरण में कब्जे के संबंध में व्यवहार न्यायालय से आदेश पारित हुये और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 04–6–2012 के आदेश के पश्चात के अद्यतन आदेशों की जानकारी उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में अपील लंबित है इसलिए कब्जा के संबंध में अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का होगा।

3/4

11.3.19

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार यह निगरानी निरस्त की जाती है। दोनों अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा अनावेदक को नियमानुसार सूचना तामील होना न पाते हुये आवेदक को

(3)

एकपक्षीय कब्जा सौंपने की कार्यवाही को निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आदेश दिनांक 07—11—2012 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 17—12—2014 ~~क्रमशः~~ को स्थिर रखे जाते हैं।

(आर.के. जैन)
सदस्य, 11.03.19
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,

4/4